

कार्यालय – अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त)/ /17, दिनांक : सितम्बर 22, 2017,

-:: आदेश ::-

श्री सुधीर कुमार, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, कानपुर के प्रार्थना-पत्र सं0 179/17 दिनांक 20-09-2017 पर सम्यक विचारोपरान्त आदेश सं0 1365/17 दिनांक 22 अगस्त 2017 द्वारा माह-सितम्बर 2017 के लिए गठित युगल पीठ कानपुर का कार्यक्रम दिनांक 25-09-2017 से 28-09-2017 निरस्त वि या जाता है। युगलपीठ गठन की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0 22-09-2017

(रेणु अग्रवाल)

एच0जे0एस0,

प्रभारी अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा0क0अधि0/यु0पी0निरस्त)/ 1508 /2017, तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, कानपुर पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर।
- 2- राज्य प्रतिनिधि (युगलपीठ) पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर।
- 3- अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/टैक्स लायर्स एसोसिएशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण, जो उक्त टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हों को अपने स्तर से अवगत करायें।
- 4- वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।

आज्ञा रा।

प्र0 निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।